

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड -3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28.03. 2017

का.आ. केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12, के उपनियम (2) के साथ पठित, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स थैराप्युटिक्स केमिकल रिसर्च कॉर्पोरेशन, दूसरी तथा तीसरी मंज़िल, शिव औद्योगिक क्षेत्र, के.वी. बालमुकुंद मार्ग, बाइकुला माल डिपो के पास, चिंचपोकली (ई), मुंबई - 400012, महाराष्ट्र, को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की भारत राजपत्र भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना सं. का.आ. 3975 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क समूह-1, अर्थात् बॉक्साइट तथा लौह अयस्क के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन महाराष्ट्र के धरमतर पत्तन, जयगढ़ पत्तन और रेडी पत्तन पर उक्त खनिजों और अयस्कों का निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात्:-

- (i) मैसर्स थैराप्युटिक्स केमिकल रिसर्च कॉर्पोरेशन, दूसरी तथा तीसरी मंज़िल, शिव औद्योगिक क्षेत्र, के.वी. बालमुकुंद मार्ग, बाइकुला माल डिपो के पास, चिंचपोकली (ई), मुंबई - 400012, महाराष्ट्र, खनिज और अयस्क समूह-1 का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट निरीक्षण का कार्यान्वयन करने के लिये उनके द्वारा अपनाई गई विधि की जाँच करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नामित अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं देगी; और
- (ii) मैसर्स थैराप्युटिक्स केमिकल रिसर्च कॉर्पोरेशन, दूसरी तथा तीसरी मंज़िल, शिव औद्योगिक क्षेत्र, के.वी. बालमुकुंद मार्ग, बाइकुला माल डिपो के पास, चिंचपोकली (ई), मुंबई - 400012, महाराष्ट्र, इस अधिसूचना के अधीन अपने कार्यों के निष्पादन में निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण), निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में दिए गए ऐसे निर्देशों से आबद्ध होगी।

[ फा.सं. के-डीओसी/16/14(4)/2017 - निर्यात निरीक्षण ]

संतोष कुमार सारंगी

(संतोष कुमार सारंगी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF COMMERCE)


Notification

New Delhi, 28.03.2017

S.O. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s Therapeutics Chemical Research Corporation, 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> Floor, Shiv Industrial Estate, K.V. Balmukund Marg, Near Byculla Goods Depot, Chinchpokli (E), Mumbai – 400012, Maharashtra, as an agency for a period of three years from the date of publication of this notification, for the inspection of Minerals and Ores–Group-I, namely, Bauxite and Iron Ore as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce published in the Gazette of India, Extraordinary, part-II, section 3, sub-section (ii) *vide* S.O. 3975 dated the 20<sup>th</sup> December, 1965, prior to export of said Minerals and Ores at Dharamtar Port, Jaigarh Port and Redi Port Maharashtra, subject to the following conditions, namely: -

- (i) that M/s Therapeutics Chemical Research Corporation, 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> Floor, Shiv Industrial Estate, K.V. Balmukund Marg, Near Byculla Goods Depot, Chinchpokli (E), Mumbai – 400012, Maharashtra, shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules, 1965;
- (ii) that M/s Therapeutics Chemical Research Corporation, 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> Floor, Shiv Industrial Estate, K.V. Balmukund Marg, Near Byculla Goods Depot, Chinchpokli (E), Mumbai – 400012, Maharashtra, in the performance of their function under this notification shall be bound by such directions as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council may give in writing from time to time.

[F.No. K-DoC/16/14(4)/2017 – Export Inspection]



(Santosh Kumar Sarangi)  
Joint Secretary to the Government of India